#### उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5

#### संख्या 1105(1) / पांच-5-2020 लखनऊ, 16 मई, 2020

#### कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 1105/पांच-5-2020, दिनांक 16 मई, 2020 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश,
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 7- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 8- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 9— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 10- निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 11- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश,
- 12—मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश,
- 13-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- १४— गार्डबुक ।

#### संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से, शत्रुन्जय कुमार सिंह, विशेष सचिव।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू० / एन०पी०--91 / 2014--16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

### उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट

माग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 मई, 2020 बैशाख 26, 1942 शक सम्वत्

व्यक्तिक किया व्यक्ति क्षित्र उत्तर प्रदेश शासन 🎹 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 चिकित्सा अनुभाग—5

संख्या 1105/पांच-5-2020 लखनऊ, 16 मई, 2020

### 🥦 🕖 अधिसूचना

#### सा०प०नि०-26

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020

1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम विनियमावली, 2020 कही जाएगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में विनियम 15 का दिए गए विद्यमान विनियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात:--

#### स्तम्भ-1

#### स्तम्भ-2

#### विद्यमान विनियमन एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियमन

15-शास्तिः इस विनियमावली के किसी 15-शास्तिः 1-इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/ संस्था/ संगठन, भारतीय कोई व्यक्ति/ संस्था/ संगठन, भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान विनियमन

सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह, भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा।

ा विव्यक्ति विव्यक्ति २०२०

#### रतम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियमन

सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/ संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

2— अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखमाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह, भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा।

- 3— किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगा:—
- (1) प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र);
- (2) तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र)।
- 4— ऐसे व्यक्ति, जो कोविड—19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगा:—
- (1) प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र), जो रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है;
- (2) द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र), जो रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकता है;
- (3) द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्मानः रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र)।

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान विनियमन

Covernment under these regulations

. Further any act of violence countred

by any person against a hely a service personnel serving dantig an

epidemic or caree any damage or here to

any property during an option of the extension

a gur' combiner to EA la suit

(2) For third and '

subsequent to a comment in a comment (Five Hundred M. . . . . . . .

punishable under the !--

(I) Per tital (I)

3. Any person vil-

#### रतम्भ–2

### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियमन

5-दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर:–

- (1) प्रथम बार के लिये जुर्माना फ्र.250 (दौ सौ पचास रूपये मात्र):
- (2) द्वितीय बार के लिये जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र);
- (3) तृतीय बार के लिये जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र);
- (4) तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने लाईसेंस निरस्त किया जाना / निलम्बित किया जानाः

परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में, दूपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा।

टिप्पणी:- इन समस्त मामलों में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति, सम्बन्धित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न ा का कार्य कार किल का अविवास हो, में निहित होगी।

> आज्ञा से. अमित मोहन प्रसाद. प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 940/V-5-2020, dated May 16,2020:

No. 1105/V-5-2020

Dated Lucknow, May 16, 2020

In exercise of the powers conferred by section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020.

## THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

Short title

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Second Amendment) Regulations, 2020.

Amendment of regulation 15

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020, for existing regulation 15 setout in column-1 below, the regulation as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

#### COLUMN-1

#### Existing regulation

15. Penalty: Any person/institution/organizaion found violating any provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of Indian penal Code (45 of 1860). Competent authority may penalize any person/institution/organization if found violating provisions of these regulations or any other further orders issued by Government under these regulations.

Further any act of violence committed by any person against a health care service personnel serving during an epidemic or cause any damage or loss to any property during an epidemic shall be punishable under the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 issued by the Government of India.

ं भार के लिए कि कि नाव

uc (1) of Article 348 of the column

1105/V-5-2020

OLOS di mala word

c following Final sh tong day, . . . . .

#### COLUMN-2

### Regulation as hereby substituted

- 15. Penalty: 1. Any person/institution/ violating organization found provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code 1860 (Act no. 45 of authority Competent 1860). person/ institution/ penalize any violating found if organization provisions of these regulations or any orders issued other further Government under these regulations.
- 2. Further any act of violence comitted by any person against a health care service personnel serving during an epidemic or cause any damage or loss to any property during an epidemic shall be punishable under the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 issued by the Government of India.
- 3. Any person who does not wear face cover (Mask), Gamacha, Handkerchief or Dupatta/ Scarf or spits at any public place or out side home shall be punished with fine as follows:-
  - (1) For first and second time with fine of Rs.100 (Hundred Rupees Only);
  - (2) For third and for every subsequent time with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only).
- 4. Violation of Lock-Down by person who is not suffering with Covid-19 shall be punished with fine as follows:-
  - (1) For first time with minimum fine Rs.100 (Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only);
  - (2) For second time with fine of Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only)

#### COLUMN-I

#### Existing regulation

#### COLUMN-2

Regulation as hereby substituted which may be extended upto Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only);

- (3) After second time for every violation or repetition with fine of Rs.1000 (One Thousand Rupees Only).
- 5. Pillion traveling on Two Wheeler:-
  - (1) For first time with fine of Rs.250 (Two Hundred Fifty Rupees Only);
  - (2) For second time with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only);
  - (3) For third time with fine of Rs.1000 (One Thousand Rupees Only);
  - (4) After third time Cancellation/ Suspension of driving licence:

Provided that in urgent circumstances with the permission of the executive magistrate, two persons can travel on a two wheeler with the condition that the pillion rider must wear helmet which covers whole face and must also wear face cover and gloves.

Note:-In all these matters the power of compounding of fine shall be vested in the related Court or executive magistrate or the police officer who is above the rank of the police officer making the Challan but not below the rank of the Inspector.

By order, AMIT MOHAN PRASAD, Pramukh Sachiv,